Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी मतीन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 1,25,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त मतीन पुत्र महबूब निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में दहेज के लिए उत्पीडन व हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 111/2019 धारा 498ए/304/बी/34 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनिमय व वैकल्पिक आरोप धारा 302/34 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मतीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 1,25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

श्री गगन गौड
एडीजीसी

का0 सुनील
कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मारपीट करने के आरोपी मोहित उर्फ रोहित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष का कारावास व 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त मोहित उर्फ रोहित पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा जान से मारने की धमकी व मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 242/2022 धारा 323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.05.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मोहित उर्फ रोहित को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक-20.05.2025

थाना दोघट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अजीत पुत्र यशपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मोनू उर्फ मंजीत सिंह निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 युवनीश कुमार थाना दोघट बागपत

2-है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट बागपत

3-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 20.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1.हारुन पुत्र हबीन निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2. इकलाख पुत्र यामीन निवासी कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 465 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

4-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

5-क0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी जनपद बागपत दिनाँक 20.05.25

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सचिन पुत्र ऋषिपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 20.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 20.05.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1) /352/253 बीएनएस में वांछित अभियुक्तों को शरण देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को थाना बिनौली पर वादी वादी श्री गजेन्द्र तोमर पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र सतेन्द्र 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र नि0गण ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बडे भाई धर्मेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान सिरसली को गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से उसके ऊपर कई फायर किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा साथ में बैठे विनीत पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी के भाई धर्मेन्द्र उपरोक्त को मेरठ में न्युट्रिमा अस्पताल के डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर देना। उपरोक्त सम्पूर्ण घटना अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा कराई गई है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 253 बीएनएस में वांछित अभियुक्तों को शरण देने वाले 02 अभियुक्तों को गोरीपर बागपत से गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 17-05-2025 को 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना सिंह नि0 ग्राम सिरसली थाना बिनौली को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-यादराम पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हलदौर जनपद बिजनौर।

2-नितिन पुत्र जगपाल निवासी ग्राम नन्हेडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदत्त थाना बिनौली जनपद बागपत

2-उनि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत

4-है0का0 440 राशिद अली थाना बिनौली जनपद बागपत